

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.  
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :- 02 / 59 / 1997

विष्णुअवतार बनाम छाजूराम वगैरा  
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018



आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.03.1997 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 974/1.25 है। वाके ग्राम टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 28.04.1997 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी के कार्यकाशत में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आये व उनकी ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 1997 से प्रचलन में है जिसे 21 वर्ष हो चुके हैं जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 974/1.25 है। वाके ग्राम टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 11.03.1997 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)  
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)